उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या–क0नि0–2-857/ग्यारह–9(1)/2008–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(100)–2013
लखनऊ: दिनांक: 08 जुलाई, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची–एक एवं अनुसूची–दो में दिनांक 09 जुलाई, 2013 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

(क) उक्त अनुसूची–एक में,–

(1) क्रम संख्या 36 की प्रविष्टि में, शब्द तथा अर्द्ध विराम "बेसन, जिसमें मटर से निर्मित बेसन सम्मिलित नहीं है ; " के स्थान पर शब्द तथा अर्द्ध विराम " **बेसन, जिसमें मटर से निर्मित बेसन सम्मिलित है ;** " रख दिये जायेंगे।

(2) क्रम संख्या 22 की प्रविष्टि में, शब्द "स्वदेशी हस्तनिर्मित वाद्य यंत्र " के स्थान पर शब्द " **स्वदेशी हस्तनिर्मित वाद्य यंत्र और स्वदेशी वाद्य यंत्र यथा ढोलक, तबला, नाल, मृदंग, बचकाना, कैंगो, ढोल, डमरू एवं तुन्तुना** " रख दिये जायेंगे।

(ख) उक्त अनुसूची–दो में, भाग–क में, क्रम संख्या 52 की प्रविष्टि में, अर्द्धविराम तथा शब्द "; **मटर से निर्मित बेसन** " निकाल दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।